>

Title: Motion regarding 16th and 17th Reports of Committee on Private Members' Bills and Resolutions (Motion adopted).

MADAM CHAIRMAN: Now, we would take up Private Members' Business.

SHRI UDAY SINGH (PURNEA): I beg to move:

> "That this House do agree with the Sixteenth and Seventeenth Reports of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 24 March, 2011 and 4 August, 2011, respectively."

MADAM CHAIRMAN: Motion moved:

> "That this House do agree with the Sixteenth and Seventeenth Reports of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 24 March, 2011 and 4 August, 2011, respectively."

MADAM CHAIRMAN: Shri P.L. Punia to move his amendment.

SHRI P.L. PUNIA (BARABANKI): I beg to move:

That in the motion,--

add at the end -

> "subject to the modification that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2010 (Amendment of section 3, etc.), contained in sub-para 3 of para 4 and sub-para 3 of para 5 of the Seventeenth Report, be referred back to the Committee for reconsideration of their recommendation with regard to the said Bill."

सभापति महोदया, इससे पहले कि आप इसके लिए सदन का विश्वास लें, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। यह आंकड़े कई सालों से बढ़ रहे हैं। हमारे यहां शिक्षा और अवेयरनेस बढ़ी है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों में अवेयरनेस और शिक्षा बढ़ी है। उसके बावजूद इन घटनाओं में वृद्धि हो रही है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। इसका स्पष्ट प्रमाण है। 156 सीआरपीसी के तहत यदि थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो सीधे कोर्ट के हस्तक्षेप से रिपोर्ट लिखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में डेढ़ हज़ार ऐसी रिपोर्ट हैं और अन्य प्रदेशों में भी हैं। मैं केवल उत्तर प्रदेश के बारे में ही नहीं कह रहा हूं जहां रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। यदि रिपोर्ट बड़ी मुश्किल से लिखी भी जाती है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए हमने इसमें प्रस्ताव रखा है कि ज्यादा दंड का प्रावधान किया जाए। स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए। वास्तव में स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। प्रावधान होते हुए भी डेज़ीग्नेट कर दिया जाता है कि फर्स्ट एडीशनल कोर्ट स्पेशल कोर्ट होगी for the purposes of Schedule Castes and Schedule Tribes Prevention of Atrocities Act, 1989. वह नाम की स्पेशल है। इसमें प्रावधान किया गया है कि वास्तव में इसको स्पेशल किया जाएगा। केन्द्र सरकार के द्वारा अनेक उपाय किए गए। सबसे पहले छूआछूत को खत्म करने के लिए Protection of Civil Rights Act, 1955. उसमें छूआछूत हमेशा के लिए खत्म करने का प्रावधान किया गया है। कई प्रमाण भी दिए गए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में छूआछूत को समूल नष्ट करने का संकल्प भी दोहराया गया, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए आवश्यक है कि इस पर कठोर कार्रवाई की जाए। पहले भी अनेक प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखे गए हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। मैं अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष भी हूं, इस नाते से मैंने पूरे देश में देखा है कि कहीं भी किसी भी प्रांत में इस पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए संसद, जो कि सर्वोच्च संस्था है, उसको हस्तक्षेप करना चाहिए और मैं चाहूंगा कि पूरा सदन इसका संज्ञान ले और इसको कैटेगिरी-ए में करने के लिए फिर से प्रार्थना करता हूं।

MADAM CHAIRMAN: I shall now put the amendment moved by Shri P.L. Punia to the vote of the House.

> The question is:

That in the motion,--

add at the end -

> "subject to the modification that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2010 (Amendment of section 3, etc.), contained in sub-para 3 of para 4 and sub-para 3 of

para 5 of the Seventeenth Report, be referred back to the Committee for reconsideration of their recommendation with regard to the said Bill."

The motion was adopted.

MADAM CHAIRMAN : Now, I put the motion, with modifications, since the amendment has been adopted.

The question is:

"That this House do agree with the Sixteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 24 March, 2011 and 4th August, 2011, respectively, subject to the modifications that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2010 (Amendment of section 3, etc.) by Shri P.L. Punia, contained in sub-para 3 of para 4 and sub-para 3 of para 5 of the Seventeenth Report be referred back to the Committee for reconsideration of their recommendation with regarad to the said Bill."

The motion was adopted.